राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(2)/2012–/एमआईएस/क0सं0 एवं भाषा/ दिनांक: 27/8/12

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।

विषय: दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनके अधीन स्थानीय निकायों/उपक्रमों इत्यादि में हिन्दी की उपेक्षा–जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों को विभागों में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन हेतु राजभाषा क्रियान्वयन अधिकारियों के रूप में प्राधिकृत करने संबंधी।

महोदय/महोदया,

इस सरकार के इस विभाग में उपराज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री/मंत्रियों/मुख्य सचिव/ अध्यक्ष के कार्यालयों के माध्यम से हिन्दी की स्वय सेवी अग्रणी संस्थाओं/गणमान्य व्यक्तियों/साधारण व्यक्तियों के माध्यम से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों तथा उनके उपक्रमों/सहायक निकायों इत्यादि में हिन्दी की उपेक्षा संबंधी राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों की अवहेलना संबंधी पत्र प्राप्त होते रहते हैं। यह विभाग प्राप्त हुए पत्रों की फोटो प्रति संबंधित विभाग को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के उपबंधों के अनुसार यथोचित कार्रवाई कराके संबंध संस्था/व्यक्ति को सीधे ही अवगत कराने के लिये अनुरोध करता है। जबकि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 12 के उपबंधों के अनुसार राजभाषा क्रियान्वयन कराने संबंधी दायित्व विभागाध्यक्ष का है। परन्तु विभागाध्यक्ष एक या दूसरे आधार पर ऐसे पत्रों पर एक या दूसरे कारण गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करवा पाते हैं। परिणामतः हिन्दी से जुड़ी अग्रणी संस्थाएं किसी एक विभाग या दूसरे विभाग में हिन्दी की उपेक्षा संबंधी अपनी शिकायत या सुझाव को मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या मुख्य सचिव या वरिष्ठ अधिकारी को यथोचित कार्रवाई कराने हेतु बार–बार अपने अनुरोध भिजवाती रहती है। ऐसे पर किसी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी का कार्यालय उनका शिकायत पत्र सीधे ही हिन्दी की उपेक्षा करने वाले संबंधित विभाग को न भिजवाकर हिन्दी में लिखे जाने के कारण इस विभाग को यथोचित आगामी कार्रवाई कराने के लिये भिजवा देते हैं और उक्त संस्था को सूचित कर देते है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दिल्ली सरकार के विभागाध्यक्षों ने अपने–अपने विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति/संस्था को सूचना देने हेतु जन सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है। अतः यह उचित होगा कि दिल्ली सरकार के तथा उसके विभागों के अधीन स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष अपने–अपने विभागों/कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन, राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा संबंधी सुझावों

तथा नियंत्रण पत्र, सूचना पट्टों, मैन्युल संहिता, प्रक्रिया साहित्य संबंधी प्राप्त पत्रों पर यथोचित आगामी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिये जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी को राजभाषा कार्यान्यवन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकते है ताकि वे इस सरकार की राजभाषा नीति, राजभाषा नियामवली के नियमों के उपबंधों में यथोचित कार्रवाई करवा सके। ऐसा करने से हिन्दी से जुड़ी अग्रणी संस्थाओं/व्यक्तियों को जहां अपने पत्रों का उत्तर यथासमय उपलब्ध हो सकेगा, वहां ऐसा करने से उनकी संतुष्टि भी होगी।

भवदीय

(राजेश सचदेवा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या: 23392386

फा.सं. 08(02)/2012–क0सं0 एवं भाषा/1849–62

दिनांक: 27/8/12

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को।
7. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु।
8. समस्त सचिव, भाषा अकादमियां, साहित्य कला परिषद, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
9. उर्दू अधिकारी, दिल्ली सरकार।
10. श्री सुरेश कुमार शर्मा एवं श्री आमोद कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक (हिन्दी) को संबंधित विषयों पर आगामी अपेक्षित कार्रवाई करने के अनुरोध सहित।
11. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर की जानकारी एवं विभागीय वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
12. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31–उत्तरी परिसर, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली–01.
13. अध्यक्ष, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, सरस्वती बाल मंदिर, जी–ब्लाक, नारायण विहार, नई दिल्ली–28.
14. गार्ड फाईल।

(राजेश सचदेवा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)